

02

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना

2.1 मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)

2.2 सीपडा

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना



1. उद्देश्य

इस छत्र-योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है। साथ ही समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है।

2. छत्र-योजना विवरणी

इस छत्र योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी:

2.1 सम्बल

दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार की सभी योजनाएँ यथा मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के तहत विशेष सहायता जैसे अनुदान, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण, कृत्रिम अंग एवं उपकरण; विशेष विद्यालय जैसे नेत्रहीन विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय; बहुदिव्यांगता एवं अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान जैसे सम्प्रति सिर से जुड़े संयुक्त जुड़वा बहनें सबा एवं फरहा शकील को दिया जा रहा अनुदान; तथा राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार की योजनाओं में राज्य की सहभागिता से संबंधित योजनाएँ इसमें समाहित होंगी। समावेशी विकास की आवश्यकता एवं नीति के आलोक में प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पृथक विद्यालय नहीं होकर यथासंभव एकीकृत रूप से विशेष विद्यालय होगा।

2.2 सिपडा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने यथा अधिनियम में प्रावधानित राज्य सलाहकार समिति, राज्य आयुक्त के सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समिति तथा अनुसंधान एवं विकास के अलावे केन्द्र सरकार के द्वारा इस निमित्त संचालित सभी योजनाएँ समाहित होगा।

3. निधि का संवितरण

दिव्यांग अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानित एक कोष "दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोष" स्थापित होगा जिसके माध्यम से निधि का संवितरण योजनावार निम्नवत होगा :

3.1 सम्बल

सम्बल के तहत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य की सहभागिता हेतु राज्यांश एवं लाभुकों को आवश्यक पूरक अनुदान राशि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

3.2 सिपडा

इसके अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

4. देय राशि

4.1 सम्बल

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु रू. 2.00 लाख तक का ऋण देय होगा। शिक्षा ऋण एवं छात्रवृत्ति का भुगतान इस के तहत नहीं होगा क्योंकि इसका भुगतान शिक्षा विभाग की योजनाओं से देय है। परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति देय होगी जिसका दर गैर-दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा। अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। विशेष विद्यालय एवं आश्रय गृह के संचालन हेतु अनुदान प्रति लाभार्थी की दर से देय होगा जिसका निर्धारण निविदा के माध्यम से होगा।

4.2 सिपडा

इस योजना के अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

5. पात्रता

इस छत्र-योजना के तहत दिव्यांगजन से तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :

5.1 सम्बल

इस योजना के तहत विशेष सहायता, अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान एवं राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में दिव्यांगजन एवं सेवा प्रदायी संस्था की पात्रता निम्नानुसार होगी:

- (i) विशेष सहायता अंतर्गत सभी मामलों यथा विशेष विद्यालय में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण आदि के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा अधिकतम दो लाख रुपये तक होगी। साथ ही आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18-60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु अधिकतम 6 वर्षों तक ही देय होगा।
- (ii) अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (iii) विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी।
- (iv) आश्रय गृह (आशियाना / साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरुष / महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।
- (v) आश्रय गृह (आशियाना / साकेत) एवं विशेष विद्यालय संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अहर्ता समय-समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

5.2 सिपडा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा इसकी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप इस योजना के तहत दिव्यांगजन एवं एतद संबंधी सेवा प्रदायी संस्थाओं की पात्रता होगी।

6. प्रक्रिया

इस छत्र-योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी :

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में आवेदन कृत्रिम अंग / उपकरण के लिए प्रखण्ड कार्यालय / जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

6.2 धनराशि/उपस्कर वितरण की प्रक्रिया

- (i) इस छत्र-योजना अंतर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक बैंक खाता हो सकेगा, परन्तु सभी खातों के लिए बैंक में एक common customer-id होगा जिससे इस छत्र-योजनाधीन सभी बैंक खाते संबद्ध (linked) होंगे।
- (ii) योजनावार बैंक खातों (Parent Account) का संचालन स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम) अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान / कार्यालय / निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।
- (iii) धनराशि का वितरण Parent-Child Account पद्धति के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा अपने Child Account से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।
- (iv) उपस्कर / कृत्रिम अंग का वितरण प्रखंड / जिला स्तरीय कैंप लगाकर किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा लाभुक को उपलब्ध करायी जाती है। पिछड़ा वर्ग वित्त निगम से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। इसके अलावे अन्य योजनाओं में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर सक्षम द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के माध्यम से इसे महालेखाकार को भेजा जाता है।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र-योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं में जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते हैं तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते हैं। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉब दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र-योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय-सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय कार्यरत है, जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अधिसूचना संख्या: 03 / यो.-27 / 2017 / 5722

पटना, दिनांक : 27 / 11 / 2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण (ट्राई साइकिल, वैशाखी, कैलिपर आदि) प्रदान करने हेतु जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, भारत रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा, डी.आर.डी.ए. के साथ-साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था को अनुदान देने का प्रावधान है।

- (viii) सुगम्य भारत अभियान: सिपडा योजना के अधीन सुगम्य भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान का संचालन 3 दिसम्बर, 2015 से किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक परिवहन एवं सरकार के वेबसाइट को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है। इस अभियान के तहत पटना शहर के 28 सरकारी महत्वपूर्ण भवनों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया तथा सुगम्यता परीक्षण (Access Audit) का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित एजेन्सी स्वाभिमान, भुवनेश्वर के द्वारा किया गया।
- (ix) **UDID परियोजना (Unique Disability ID For Persons with Disability):** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजनों को यूनिक आई.डी. उपलब्ध कराने के उद्देश्य से UDID परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांगजन अपना आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं तथा उन्हें परियोजना के तहत एक यूनिक नम्बर प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा आई.डी. कार्ड निर्गत किया जायेगा। यूनिक आई.डी. कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में UDID परियोजना अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यूनिक आई.डी. कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिलों में सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण-सह-जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं सिविल सर्जन जिला प्रशासक के रूप में नामित हैं। यूनिक आई.डी. कार्ड प्राप्त करने हेतु कोई भी दिव्यांगजन ऑनलाईन पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सिविल सर्जन कार्यालय में भी विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाता है। आवेदकों को यूनिक आई.डी. कार्ड हेतु आवेदन देने के लिए फोटो, पते का प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। आवेदन के उपरांत आवेदकों को यूनिक आई.डी. कार्ड डाक के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये पते पर प्राप्त होता है।